मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल, भोपाल (मध्यप्रदेश) पिन–462011
फोन – 0755-2570442, 2570431 फैक्स : 0755-2556619

क्रमांक / आईसीटीसी / 21–31 / 2019 / 10 **भोपाल, दिनांक** 02/01/2020

प्रति,

1. **अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल / इंदौर / रीवा / जबलपुर / ग्वालियर / सागर**
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।**
3. **समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक।**
4. **संचालक, आर.एम.आर.सी., गढ़ा रोड जबलपुर, मध्यप्रदेश।**

विषय :–EID के संबंध में पुनरीक्षित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
संदर्भ :– नाको से प्राप्त पत्र क्रंमाक S-12015/23/2007-NACO (LS) दिनांक 17.12.2019।

कृपया उपमहानिदेशक, नाको के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्रानुसार दो डी.बी.एस. में एआईव्ही पॉजीटिव पाए गए 18 माह तक के बच्चे जिनकी एआरटी आरंभ हो चुकी है, के संदर्भ में एचआईव्ही संक्रमण की स्थिति की जांच हेतु नाको द्वारा पुनरीक्षित मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

18 माह का एंटीबॉडी टेस्ट सभी एक्सपोज्ड बच्चों का लगाया जावे चाहे उनका पूर्व का PCR स्टेटस कुछ भी रहा हो या एआरटी आरंभ हो चुकी हो। यदि 18 माह के टेस्ट में सीरो–डिस्टरडेंट परिणाम आता है तो बच्चे के निम्नानुसार सभी चारों टेस्ट किए जावे –

1. All 3 Rapid Diagnosis Tests (Anitbody) tests done in parallel.
2. HIV-1 ELISA
3. Qualitative HIV-1 DNA PCR and
4. Quantitative HIV-1 PCR (Viral Load)

यदि इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजीटिव आता है तो एआरटी निरंतर रहेगी। यदि चारों टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो ही बच्चे की एआरटी को रोंकेगे और बच्चे का सघन फॉलोअप संशोधित एल्गोरिदम के अनुसार किया जावेगा।

पत्र के साथ संलग्न मार्गदर्शिका व एल्गोरिदम में टेस्ट, एआरटी की निरंतरता, स्तनपान, वायरल लोड टेस्ट आदि के संबंध में भी विस्तृत विवरण दिया गया है। अतः निर्देशित किया जाता हैं कि नाको द्वारा उपलब्ध करायी गयी इस पुनरीक्षित मार्गदर्शिका का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– पुनरीक्षित मार्गदर्शिका।

(राकेश मुंशी)
अपर परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

क्रमांक / आईसीटीसी / 21–31 / 2019 / 11 **भोपाल, दिनांक** 02/01/2020

<u>प्रतिलिपि</u> :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उपमहानिदेशक, लैब सर्विसेस, नाको–नईदिल्ली।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला आईसीटीसी सुपरवाइजर, मध्यप्रदेश।

अपर परियोजना संचालक
मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

S-12015/23/2007-NACO(LS)
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(National AIDS Control Organization)

9th Floor Chanderlok Building
36, Janpath, New Delhi- 110001
Dated- December 17th, 2019

Office Memorandum

Sub: Revised Guideline on 18 Month Antibody testing of HIV positive babies who have been initiated on treatment based on 2 HIV PCR positive report- reg

In reference to the above subject and in supersession of existing guideline dated 16.04.2018 on 18 Month Antibody testing of HIV positive babies who have been initiated on treatment based on 2 PCR positive report, the revised guideline on 18 Month testing is as follows:

18 Month Antibody testing of all HIV exposed babies irrespective of previous status on PCR or ART should be done. In the event of Sero-discordance at 18 months, baby is to be tested using all 4 tests, i.e.

1. All 3 Rapid Diagnostic Tests (Antibody) tests done in parallel
2. HIV-1 ELISA
3. Qualitative HIV-1 TNA PCR and
4. Quantitative HIV-1 PCR(Viral Load)

In case any of these tests is positive, ART is to be continued. If the baby is negative on all the tests, then only, ART is to be interrupted in a closely monitored environment and baby should be followed up as per the Revised Algorithm.

(Dr Naresh Goel)
Deputy Director General
Lab Services Division

Enclosure: Revised Algorithm

To,
Project Directors
All State AIDS Control Societies/ UTs

Copy to:
1. DDG (BSD), NACO
2. DD (BSD, CST), NACO
3. Joint Director (BSD) All States- With a request to circulate to all ICTCs
4. PPS to SS & DG, NACO
5. PS to JS, NACO

Scanned by CamScanner

EARLY INFANT DIAGNOSIS (EID)

18 MONTH ANTIBODY TESTING ALGORITHM FOR ALL BABIES

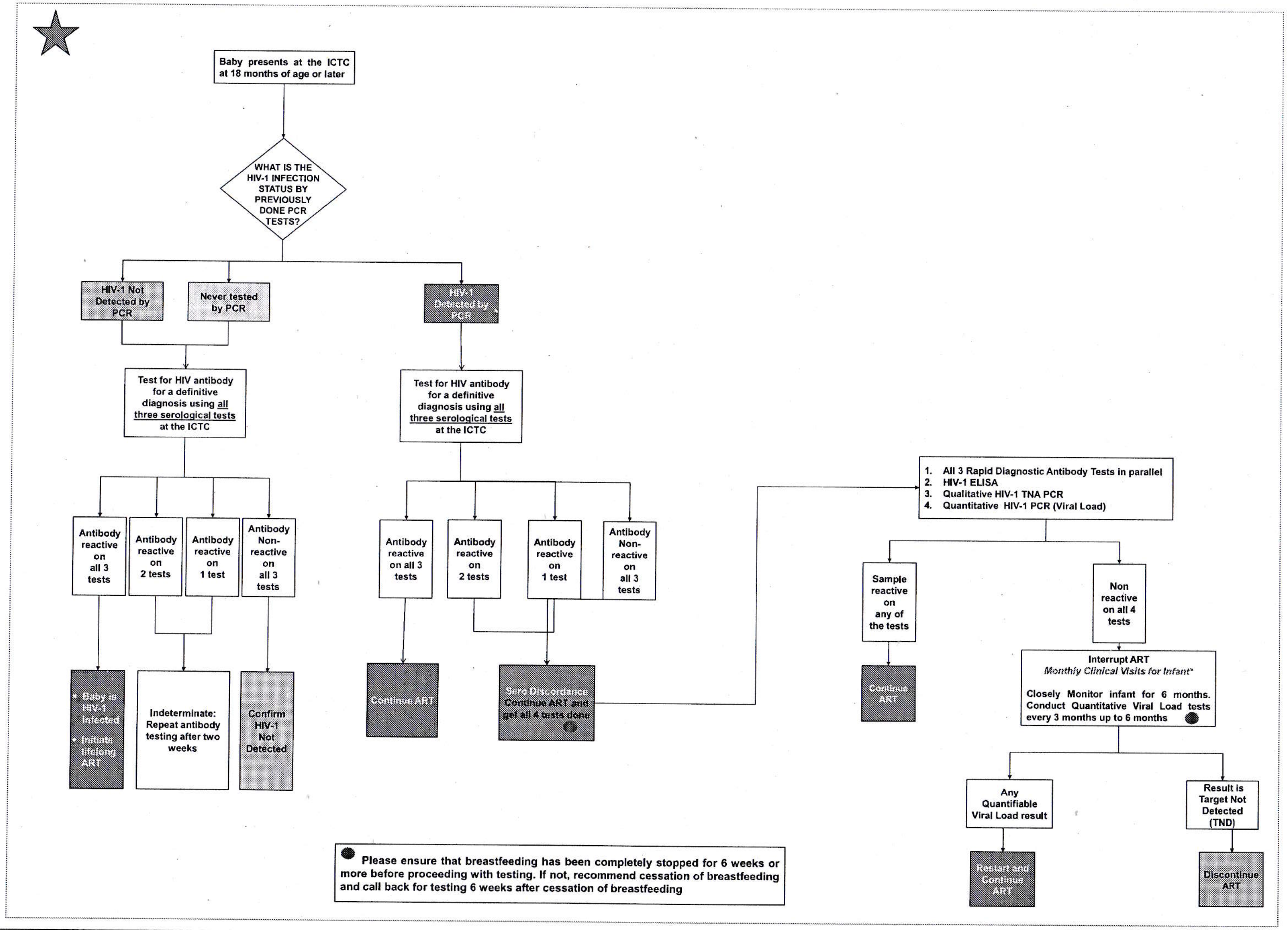

*If infant shows symptoms of HIV then re-start ARV based on clinical judgement